फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

कन्हैयालाल बनाम दिनेश वगै0

नं0 :– 183 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.03.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। शेष अप्रार्थी सं0 1, 2, 3, 5 लगायत 11 अनुपस्थित। शेष अप्रार्थीगणों को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 1, 2, 3, 5 लगायत 11 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने जवाब प्रा0 पत्र धारा 151 सीपीसी न देकर सीधी बहस करने का निवेदन किया। वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में अंकित वादग्रस्त भूमि पर अन्य का कब्जा होने के कारण प्रकरण धारा 183 आर0टी0एक्ट का बनाता है। ऐसी स्थिति में पत्थरगढी प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 4 द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र धारा 151 सीपीसी में प्रकरण कब्जे का बताया है। उक्त संबंध में तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार की कब्जा संबंधित टिप्पणी नही की है। जिससे जाहिर होता है कि अप्रार्थी सं0 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायालय का समय जाया करने हेतु पेश किया गया है और अप्रार्थी सं0 4 द्वारा ऐसे कोई भी साक्ष्या पेश नही किये गये। जिससे कब्जा संबंधित विवाद जाहिर होता है। अतः प्रा0पत्र धारा 151 सीपीसी खारिज किया जावें। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस का मनन किया गया। अप्रार्थी सं0 4 द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र धारा 151 सीपीसी आधारहीन होने पर खारिज किया जाता है। वकील उभय पक्षों की बहस प्रा0पत्र धारा 128 एल0आर0एक्ट पर सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 24.03.2025 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला–जयपुर	
24.03.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि बिन्दु सं0 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 2.2300है0 वाके ग्राम रामपुरावास चावण्डिया,, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी, जिला जयपुर की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करने आदेश प्रदान करें। वकील अप्रार्थी सं0 4 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में अंकित वादग्रस्त भूमि पर मौके पर अन्य लोगों का कब्जा है। लिहाजा प्रकरण कब्जे का बनाता है। ऐसी स्थिति में पत्थरगढी प्रा0पत्र खारिज किया जावें। उक्त के संबंध में प्रार्थी का प्रा0 पत्र पूर्व में खारिज किया जा चुका है। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार की रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि	उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थी की ग्राम रामपुरावास चावण्डिया, पटवार हल्का चावण्डिया, तहसील आंधी, जिला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 41 रकबा 2.2300है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार आपत्ति करता है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें।

निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

(ललित [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़